संख्या 5/2016/-357/52-4-2016 2(आ0/बजट)/2016

प्रेषक

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,

उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण् एवं वक्फ अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 08 नवम्बर ,2016

विषय-उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान में द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2624/अ0स0आ0/16-39वि0/15, दिनांक 27.09.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-103/52-4-2016-2(आ0/बजट)/2016, दिनांक 07 अप्रैल, 2016 द्वारा उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-48 लेखाशीर्ष- "20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" आयोजनेतर पक्ष में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 22,00,000/-(रूपये बाईस लाख मात्र) का 50 प्रतिशत अर्थात कुल धनराशि रू0 11,00,000/-(कुल रूपये ग्यारह लाख मात्र) की स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त प्राविधानित धनराशि रू0 22,00,000/-(रूपये बाईस लाख मात्र) में अवशेष धनराशि रू0 11,00,000/-(कुल रूपये ग्यारह लाख मात्र) स्वीकृत करते हुए अधोलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखें जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- धनराशियों का प्रवेशंन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नही देता है अत:व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में

(2)

बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- उक्त धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में ऐसी धनराशि का उपयोग "नई मदों/सेवाओं" पर व्यय के लिए न किया जाय।

5- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बध में शासनादेश संख्या:-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चिश्त किया जाय।

6- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय की मितव्ययता के सम्बन्घ में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेषरूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने मे उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्डस आफॅ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- धनराशि का यथासमय एक माह की आवश्यकतानुसार आहरण कर व्यय/उपभोग किया जाय तथा व्यय/उपभोग का विवरण बी0एम0-13 प्रपत्र पर प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8- उपरोक्त् मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या- 48 के लेखार्शीषक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेतर-105-विशेष जॉच आयोग-04-अल्पसंख्यक आयोग को अनुदान- "20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11 की अशासकीय संख्या 1534 /दस-2016, दिनांक 27 अक्टूबर , 2016 में प्राप्त सहमति के अधीन निर्गत किया जा रहा है

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-5/2016/357(1)/52-4-2016-2(आ0/बजट)/2016तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण,उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
5- वित्त (वित्त व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11 ।
6- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in